न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, डीडवाना–कुचामन

पीठासीन अधिकारी– श्री डॉ0 महेन्द्र खड़गावत, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या 61 / 2025
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर 2025 / 117

प्रार्थी

भंवर सिंह पुत्र महावीर सिंह, जाति राजपुत, निवास बरांगणा, तहसील डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन।

बनाम

अप्रार्थीगण

1. उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना।
2. औंकार सिंह पुत्र भगवान सिंह, जाति राजपुत, निवास बरांगणा, तहसील डीडवाना।
3. रामस्वरूप पुत्र गुमानाराम, जाति नाई निवासी कुड़ली तहसील डीडवाना।
4. मनोहर सिंह पुत्र चेनसिंह
5. सदा कंवर पत्नि भगवानसिंह
6. गोगा कंवर पत्नि औंकार सिंह
7. नोरंग सिह पुत्र भगवान सिंह
8. बशु कंवर पत्नि नोरंग सिंह
9. कुमेर सिंह पुत्र भगवान सिंह
10. सुमन कंवर पत्नि कुमेर सिंह समस्त जाति राजपुत, निवास बरांगणा, तहसील डीडवाना।
11. शाखा प्रबन्धक SBBJ बैंक शाखा डीडवाना।
12. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक शाखा डीडवाना।
13. सरपंच, ग्राम पंचायत, बरागंणा, तहसील डीडवाना।
14. पटवारी, पटवार हल्का, बरांगणा तहसील डीडवाना।
15. तहसीलदार डीडवाना।

मुन्तकिली आवेदन पत्र अधीन धारा 235 आर.टी.एक्ट
विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना, जिला डीडवाना–कुचामन राज0
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 110 / 2020 बनुवान भंवर सिंह बनाम आलम अली खां वगैरह
तारीख पैशी 05.06.2025

–:निर्णय:– **दिनांक : 24.11.2025**

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप्त में निम्न प्रकार से है:–

उक्त प्रार्थना पत्र ठोस आधरों पर प्रस्तुत किया गया है तथा उक्त प्रार्थना पत्र में उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के द्वारा प्रार्थी के द्वारा पेश मौका कमीश्नर के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर मौका रिपोर्ट मंगवाया था तथा मौका कमीशनर की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् दिनांक 10.12.2021 को नि[illegible] कि "वकुलात उप0। स्थगन पर बहस सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किय[illegible] मनन करने तथा रेकर्ड के अवलोकन करने पश्चात् अप्रार्थीगण [illegible] से पाबन्द किया जाता है कि वाके सरहद बरांगना के [illegible] 455 [illegible] के मध्य नजरी नक्शा में दर्शित विवादित जायगा मार्क ए, बी, सी, [illegible] यथास्थिति बनाये रखे। [illegible] अप्रार्थीगण के समन जारी होकर पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक [illegible].02.2021 को पेश हो।" [illegible] प्रार्थी संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2026.04.01 16:00:44 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

02 से 10 राजनैतिक प्रभाव वाले व्यक्ति है जो अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उक्त स्थागन आदेश को राजनैतिक दबाव से निरस्त करवाने में लगे हुए है तथा बार बार प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के साथ मिलकर उक्त प्रार्थना पत्र का विधि विरूद्ध फैसला करवाने की फिराक में है तथा उक्त प्रकरण में बिना आगामी तारीख पेशी का इंतजार किये ही स्थगन आदेश को निरस्त करने की धमकियां दी जा रही है। दिनांक 30.05.2025 को प्रार्थी को अप्रार्थीगण के द्वारा स्पष्ट धमकी दी गई है कि वह दिनांक 30.05.2025 को उक्त स्थगन आदेश को निरस्त करवा देंगे लेकिन दिनांक 30.05.2025 को बार संघ डीडवाना के कार्य स्थगन कर देने के कारण न्यायालय में सुनवाई नहीं हो सकी थी जिस कारण उपरोक्त प्रकरण में दिनांक 05.06.2025 को तारीख पेशी नियत की गई है। जब प्रार्थी ने न्यायालय में पता किया की इतनी नजदीक तारीख पैशी कैसे दी तब पता चला है कि अप्रार्थी संख्या 02 से 10 ने अप्रार्थी संख्या 15 तहसीलदार डीडवाना से अनुचित साठगांठ कर ली है तथ अपने प्रभाव व धनबल का इस्तेमाल कर लिया है तथा अप्रार्थी संख्या 01 से 10 अप्रार्थी संख्या 15 के साथ मिलकर उक्त प्रकरण नजदीक तारीख पैशी पर लेकर स्थगन आदेश को तुड़वाना चाहते है इस कारण प्रार्थी के पास उपरोक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के समक्ष पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से उपरोक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान् न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

प्रार्थना पत्र पेश कर माननीय न्यायालय से विनम्रतापूर्वक प्रार्थना है कि राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 110/2020 अनुवान भंवर सिंह बनाम आलम अली खां वगैरह को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के यहां से किसी अन्य सक्षम न्यायालय में निष्पक्ष सुनवाई हेतु अन्तरित किये जाने के आदेश फरमावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रार्थना–पत्र के संबंध में कार्यालय हाजा के पत्र क्रमांकः–249 दिनांकः–11.06.2025 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी डीडवाना से रिपोर्ट ली गई। उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के पत्र क्रमांकः–कोर्ट/2025/319 दिनांकः–17.11.2025 के द्वारा रिपोर्ट प्राप्त हुई। उपखण्ड अधिकारी डीडवाना ने जवाब पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थी भंवरसिंह द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना में राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या 110/2020 बअनुवानः–भंवरसिंह बनाम आलम अली खां वगैरह पेश किया है जिसमें आगामी तारीख पेशी दिनांक 12.01.2026 को नियत है। प्रकरण में न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की सहमति से आगामी तारीख पेशी नियत की जाती है। न्यायालय द्वारा उभयपक्ष की सुनवाई के उपरान्त ही गुणावगुण कर निर्णय पारित किया जाता है। प्रकरण में गुणावगुण पर विधिसम्मत निर्णय पारित करना ही न्यायालय की मंशा रही है फिर भी किसी पक्षकार के मन में न्याय को लेकर संदेह उत्पन्न हो जाये तो उक्त स्थिति में अप्रार्थी उपखण्ड अधिकारी डीडवाना भी प्रकरण में निर्णय पारित करना उचित नहीं समझते है। अतः प्रकरण को किसी अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है तो उपखण्ड अधिकारी डीडवाना को कोई आपत्ति नहीं है।

पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं जवाब का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड एवं प्राप्त जवाब रिपोर्ट अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र को मुन्तकिल किये जाने बाबत् प्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं किये है। अतः प्रार्थना पत्र में कोई ठोस तथ्य प्रस्तुत नहीं होने के कारण प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 24.11.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahendra Khadgawat
Date: 2026.04.01 15:00:44 IST
Reason: SelfAttested

24.11.2025

(डॉ. महेन्द्र खड़गावत, IAS)
जिला कलक्टर,
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
डीडवाना–कुचामन

जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
डीडवाना–कुचामन